न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर – 2025/170

1. सरदाराराम पुत्र जवाहरा जाति मेघवंशी निवासी बाडलवास, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं।

– अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार खेतड़ी, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं।

– रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलेक्टर झुन्झुनूं के निर्णय दिनांक 27.03.2012 अपील संख्या 01/2012 उनवानी सरदाराराम बनाम राजस्थान सरकार व नायब तहसीलदार खेतडी, जिला झुन्झुनूं के निर्णय दिनांक 25.07.2011 प्रकरण संख्या 164/2011 उनवानी सरकार बनाम सरदाराराम में आदेश पारित किये गये हैं।

उपस्थित :–

1. अपीलान्ट स्वयं उपस्थित।
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक :– 26.12.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनूं के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.03.2012 एवं नायब तहसीलदार खेतडी, जिला झुन्झुनूं के निर्णय दिनांक 25.07.2011 के खिलाफ दिनांक 25.04.2012 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार खेतडी, जिला झुन्झुनूं के निर्णय दिनांक 25.07.2011 द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध पटवारी हल्का नागलिया गुर्जरवास की रिपोर्ट के अनुसार वाके ग्राम देवनगर में राजकीय भूमि आराजी खसरा नम्बर 1770/1164, 1188 किस्म गैर मुमकीन के रकबा क्रमशः 0.05, 0.90 कुल रकबा 0.95 है0 में गैर सायल सरदाराराम पुत्र जवाहरा जाति मेघवंशी निवासी बाडलवास, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं द्वारा जोत लगाकर अतिक्रमण करने पर 50 गुणा पैनल्टी कायमी एवं बेदखली की कार्यवाही किये जाने के आदेश पारित कर दिये। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनूं के यहां पेश की गई, जो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.03.2012 द्वारा खारिज कर दिया गया।
3. नायब तहसीलदार खेतडी, जिला झुन्झुनूं के निर्णय दिनांक 25.07.2011 तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनूं के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.03.2012 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय नायब तहसीलदार खेतडी, जिला झुन्झुनूं दिनांक 25.07.2011 तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनूं द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.03.2012 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। स्वयं अपीलान्ट व उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।
5. स्वयं अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया गया कि निर्णय हर दो अदालत मातहत के खिलाफ

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

कानून एवं पत्रावली होने से निरस्त होने योग्य है। हर दो योग्य अदालत ने अपीलान्ट के विरूद्ध निर्णय पारित करने में भारी कानूनी भूल की है। प्रार्थी अपीलान्ट गैरसायल दिनांक 22.07.2011 को अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार खेतड़ी के समक्ष उपस्थित हुआ था तथा प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा उक्त नोटिस धारा 91 का जवाब मय सबूत पेश किया था जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में शामिल मिसल किया गया था। इस बात का अंकन अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 22.07.2011 में अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी अपीलान्ट के जबाब पेश करने के बाद पत्रावली को बहस हेतु तारीख नियत करनी चाहिए थी तथा प्रार्थी को सुनकर उचित आदेश पारित करना चाहिए था परन्तु अदालत मातहत ने ऐसा न कर तथा पत्रावली को सीधे आदेश हेतु रखकर भारी कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की है इसलिए अदालत मातहत का निर्णय आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। अदालत मातहत ने प्रार्थी अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया तथा गलत रूप से प्रार्थी अपीलान्ट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करके मनमर्जी से गलत आदेश पारित कर दिया जबकि कानूनन प्रार्थी अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायोचित था। उक्त तथ्यों की पुष्टि अदालत मातहत की आदेशिकाओं से होती है।

अदालत मातहत ने अपने आदेश दिनांक 25.07.2011 में प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा कोई भी सबूत पेश नहीं करने का उल्लेख किया है जबकि दिनांक 22.07.2011 की आदेशिका में अदालत मातहत ने अंकित किया है कि प्रार्थी स्वयं हाजिर अदालत आया तथा उसने जवाब व सबूत पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। इससे स्पष्ट है कि अदालत मातहत ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, सबूत व जवाब पर गौर किये बिना ही आलौच्य एकतरफा आदेश पारित किया है। अदालत मातहत ने आदेश पारित करने से पूर्व कानून के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन किया है तथा ज्यूडिशियल माईण्ड अप्लाई नहीं किया है इसलिए अदालत मातहत का आदेश निरस्त होने योग्य है। वादग्रस्त भूमि ख.नं. 1770/1164, 1188 कुल रकबा 0.95 पर प्रार्थी अपीलान्ट का अपने पूर्वजों से ही करीब 50 वर्षो से काफी पुराना कब्जा है तथा वादग्रस्त भूमि को प्रार्थी अपीलान्ट के पुर्वज व प्रार्थी अपीलान्ट काश्त करता आ रहा है। अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट्स का विवादित भूमि पर पुराना कब्जा लगातार न मानकर भूमि का नियमन न करने की सिफारिस न कर भूल कानूनी की है। इसके विपरीत प्रार्थी को गलत रूप से अतिक्रमी घोषित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी अपीलान्ट का वादग्रस्त जमीन पर कब्जा न मानना भारी कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर निर्णय योग्य अदालत मातहत नायब तहसीलदार खेतड़ी दिनांक 25.07.2011 एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर झुन्झुनूं द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.03.2012 निरस्त फरमाये जाने की कृपा करें।

6. रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि पटवारी हल्का नागलिया गुर्जरवास की रिपोर्ट के अनुसार वाके ग्राम देवनगर में राजकीय भूमि आराजी खसरा नम्बर 1770/1164, 1188 किस्म गैर मुमकीन के रकबा क्रमशः 0.05, 0.90 कुल रकबा 0.95 है0 में गैर सायल सरदाराराम पुत्र जवाहरा जाति मेघवंशी निवासी बाडलवास, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं द्वारा जोत लगाकर अतिक्रमण किया गया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार खेतडी, जिला झुन्झुनूं द्वारा अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 25.07.2011 को 50 गुणा पैनल्टी कायमी एवं बेदखली की कार्यवाही किये जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर झुन्झुनूं में अपील दायर करने पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर झुन्झुनूं ने अपीलान्ट

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

की अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.03.2012 द्वारा खारिज कर दी गई। जिससे जाहिर होता है कि अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार अतिक्रमण किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है, जो विधिवत प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा स्वयं अपीलान्ट व उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार खेतडी की पत्रावली में संलग्न पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार मौका पर्चा रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट द्वारा वाके ग्राम देवनगर में राजकीय भूमि आराजी खसरा नम्बर 1770/1164, 1188 किस्म गैर मुमकीन के रकबा क्रमशः 0.05, 0.90 कुल रकबा 0.95 है0 में जोत लगाकर अतिक्रमण किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार खेतडी, जिला झुन्झुनूं द्वारा अपीलांट को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है तथा अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 25.07.2011 को 50 गुणा पैनल्टी कायमी एवं बेदखली की कार्यवाही किये जाने के दण्ड से दण्डित करते हुए निर्णय पारित किया गया।

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर झुन्झुनूं द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.03.2012 में यह माना है कि अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि पर जोत लगाकर अतिक्रमण किया गया है जिसे वैध नहीं ठहराया जा सकता है। अपीलान्ट अतिक्रमी है, जबकि कानूनन राजकीय भूमि पर अतिक्रमण का अधिकार किसी को भी प्रदत्त नहीं है और यह कृत्य दण्डनीय है। ऐसे में राजकीय भूमि पर जोत लगाकर अतिक्रमण करने की प्रवृति को रोकने एवं अंकुश लगाने के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेशों में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य सबूत, तथ्य या दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अपीलार्थी राजकीय भूमि पर अतिक्रमी साबित नहीं होता है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनूं का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.03.2012 एवं अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार खेतडी, जिला झुन्झुनूं द्वारा जारी अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.07.2011 को यथावत रखा जाना न्यायोचित है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनूं का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.03.2012 एवं अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार खेतडी, जिला झुन्झुनूं द्वारा जारी अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.07.2011 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति0 संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 26.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर